जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-21.08.2025**

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 21.08.2025 को थाना एएचटीयू पुलिस द्वारा नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र कैराना रोड शामली व राणा जी नशा मुक्ति केंद्र कैराना रोड को चैक किया गया, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई वहां पर मौजूद उपचारधीन व्यक्तियों से वार्ता कर नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया तथा सेंट आरसी कान्वेंट स्कूल मुंडेट रोड थाना आदर्श मंडी जनपद शामली में बालक बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और नशामुक्त जीवन अपनाने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया गया।

निरीक्षण के प्रमुख बिंदु

• नशा मुक्ति केन्द्र की सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, औषधि प्रबंधन एवं काउंसलिंग व्यवस्था की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

• उपचाररत लाभार्थियों को यह बताया गया कि नशा न केवल स्वास्थ्य को नष्ट करता है, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है।

• सभी व्यक्तियों को यह संकल्प दिलाया गया कि— “नशा छोड़ना ही सच्चा सवेरा है, जो जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है।”

• केन्द्र प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर जागरूकता शिविर, काउंसलिंग सत्र और समाजिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।

* बालक बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।

अभियान का उद्देश्य

“ऑपरेशन – सवेरा:- नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” केवल अपराधियों पर की जाने वाली कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन है। इसका मूल उद्देश्य—

- समाज से नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करना।
- युवा पीढ़ी को स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करना।
- और परिवारों को नशे की विनाशकारी प्रवृत्ति से मुक्त कराना है।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित बालअपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

ज्ञात हो कि दिनाँक 18.08.2025 को वादी अनुज कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के पुत्र वंश पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शालमी पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था। उपरोक्त घटना में मुख्य अभियुक्त अक्षय पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मु0नगर को पूर्व मे गिरफ्तार किया जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में 01 बालअपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

बालअपचारी को अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राजकमल सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.का0 अंकुर चौधरी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.का0 मयन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 21.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वारंटी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 21.08.2024 को एक युवक द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस्टाग्राम पर मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 पर अभद्र टिप्पणी की गयी थी जिसका संज्ञान लेकर थाना कांधला पर सुंसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सलमान पुत्र हाजी इरफान मंसूरी निवासी मौहल्ला खैल वार्ड न0-17 कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

2.का0 रोशन थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब के पव्वे बरामदः-

आज दिनांक 21.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 20 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जावेद पुत्र अली हसन निवासी मौहल्ला काजीवाडा खेड़ीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 पव्वे/ट्रेटा पैक देशी शराब महबूबा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री साहब सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री युनूस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.है0का0 रजनीश कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

अवगत कराना है कि थाना झिंझाना पर पंजीकृत मु0अ0स0 229/22 धारा 386/447 भादवि में जमानत पर रिहा हिस्ट्रीशीटर 445 ए अभियुक्त फिरोज के आपराधिक कृत्यों मे संलिप्त रहने एंव आमजनमानस में ख्याति संतोषजनक न होने के आधार पर अभियुक्त के जामिनदार 1. वासिल पुत्र इफ्तखार अहमद 2.राशिद पुत्र सादी निवासीगण कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना पर आज दिनांक 21.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट कैराना शामली द्वारा अभियुक्त फिरोज उपरोक्त की जमानत निरस्त कर अभियुक्त का अभिरक्षा वारन्ट बनाकर जिला कारागार मुजफ्फरनगर भेजा गया।

अभियुक्त नाम व पता-

1.फिरोज पुत्र अजीम खा निवासी मौहल्ला पठानान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

“ऑपरेशन सवेरा”
“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

जनपद शामली पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 अभियुक्त को पिट एनडीपीएस में 02 वर्ष के लिए कराया गया निरुद्ध-

अवगत कराना है कि दिनांक 10.02.2024 को थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र पीतम निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली को 03 किलोग्राम चरस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 21.08.2025 को अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र पीतम निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली को 02 वर्ष के लिए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) (पिट एनडीपीएस) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र पीतम निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 305/2012 धारा 307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 133/2016 धारा 147/148/149/364/302/201/34 भादवि थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 362/2020 धारा 188/269/270/271 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 487/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 55/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, ।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.08.2025 को सुशील कुमार पुत्र नंदपाल निवासी शिवनगर बीबीपुर जलालाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली के भाई सागर को ग्राम बीबीपुर से करनाल रोड़ गौशाला के पास दीपक, शिवकुमार, पुष्पेन्द्र व कुसुम ने एक राय होकर गाली गलौच, मारपीट व जानलेवा हमला किया गया था । घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में आज दिनाँक 21.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत एक राय होकर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.दीपक पुत्र राजू निवासी ग्राम शिवनगर(बीबीपुर) थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.पुष्पेन्द्र उर्फ पुसी पुत्र ताराचन्द निवासी बीबीपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सचिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0गा0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.का0 सुमित नागर थाना झिंझाना जनपद शामली।

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 21.08.2025 को थाना थानाभवन/आदर्शमंडी/कांधला/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले स्कूल/कालेज के छात्र-छात्राओ, नशा मुक्ति केन्द्र व थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम सुन्ना में ग्रामीणों के साथ नशा मुक्ति कराने के सम्बन्ध में मीटिंग आयोजित की गयी। सभी से व्यक्तिगत संवाद स्थापित कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और नशामुक्त जीवन अपनाने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया गया।

निरीक्षण के प्रमुख बिंदु

- नशा मुक्ति केन्द्र की सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, औषधि प्रबंधन एवं काउंसलिंग व्यवस्था की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
- उपचाररत लाभार्थियों को यह बताया गया कि नशा न केवल स्वास्थ्य को नष्ट करता है, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है।
- सभी व्यक्तियों को यह संकल्प दिलाया गया कि— “नशा छोड़ना ही सच्चा सवेरा है, जो जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है।”
- स्कूल कालेज/केन्द्र प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर जागरूकता शिविर, काउंसलिंग सत्र और अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।

* बालक बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।

अभियान का उद्देश्य

“ऑपरेशन – सवेरा:- नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” केवल अपराधियों पर की जाने वाली कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन है। इसका मूल उद्देश्य—

- समाज से नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करना।
- युवा पीढ़ी को स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करना।
- और परिवारों को नशे की विनाशकारी प्रवृत्ति से मुक्त कराना है।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

“नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

Specimen
PLANT CELL